दिनांक 17.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 578/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये माल बिक्री के 21 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2026 को थाना टूण्डला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना बाईपास रोड़ स्थित गेल गैस प्लांट के पास चेकिंग के दौरान दो पहिया सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–दीपक 2–आसिफ घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये माल बिक्री के 21 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना टूण्डला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी जगनेर रोड नरीपुरा थाना शाहगंज कमिश्नरेट आगरा।

2–आसिफ निवासी भीमनगर हरीपुरा थाना शाहगंज कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–लूटे गये माल बिक्री के 21 हजार 500 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मोहनलालगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2026 को थाना मोहनलालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–बाबू 2–आशिक 3–सीबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बाबू के विरूद्ध जनपद बहराइच, श्रावस्ती के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त आशिक के विरूद्ध जनपद बहराइच, श्रावस्ती व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बाबू निवासी नूरूद्दीन चक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

2–आशिक निवासी नूरूद्दीन चक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

3–सीबू निवासी कोयला गली पार्ट –2 शिवनगर थाना दही जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–लगभग 18 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद रामपुर/थाना मिलक खानम

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **02 जीवित, 40 खोखा, 02 मिस कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2026 को थाना मिलक खानम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीपली वन जंगल में छोटी मजार के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों 1–धर्मेन्द्र 2–टीटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 02 जीवित, 40 खोखा, 02 मिस कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक खानम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मेन्द्र निवासी ग्राम कलकत्ती थाना गदरपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

2–टीटू निवासी ग्राम गुलाब सिंह का मझरा थाना किलाखेडी जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–02 जीवित, 40 खोखा, 02 मिस कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 64 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.11.2026 की रात्रि थाना मुरादनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काकडा पुलिया से सोंदा पुल नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–प्रवीण 2–अरूण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 64 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवीण निवासी ग्राम भनेड़ा थाना निवाड़ी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–अरूण निवासी ग्राम जटौली थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लगभग 80 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 64 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 कैन्टर वाहन आदि।

- **जनपद बरेली/थाना शाही (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बरेली द्वारा थाना शाही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मिश्रीलाल उर्फ एम0एल0 राजपूत को सश्रम आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि सपठित धारा

4(2) पॉक्सो एक्ट सपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट एवं 506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त भूरे को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना पिपरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पिपरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना मझंनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 18–18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना मझंनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366/365 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मेहदी हसन 2–शादात को 10–10 वर्ष के कारावास व 18–18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना पीपीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना पीपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)/506(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामहरि को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————